(26)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
73 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	17.08.2015	12.03.2020

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री रामावतार शर्मा पुत्र नाथूलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पुर्नवास कॉलोनी महुआ तहसील व जिला टोंक विक्रेता मैसर्स शर्मा रेस्टोरेन्ट खेडा बाईपास एन.एच. 12 छान तहसील व जिला टोंक
2– मैसर्स शर्मा रेस्टोरेन्ट खेडा बाईपास एन.एच. 12 छान तहसील व जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 12.03.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.05.2015 को समय 11.45 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शर्मा रेस्टोरेन्ट खेडा बाईपास एन.एच. 12 छान तहसील व जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री रामावतार शर्मा पुत्र नाथूलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पुर्नवास कॉलोनी महुआ तहसील व जिला टोंक विक्रेता मैसर्स शर्मा रेस्टोरेन्ट खेडा बाईपास एन.एच. 12 छान तहसील व जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे स्टील के भगोने मे लगभग 15 किलो भैस के दूध का **दही** डीप फ्रीज मे रखा था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.वी.ओ. श्री रामावतार शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 050 टोंक

Scanned by CamScanner

जिस पर विक्रेता रामावतार शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे लगभग 15 किलोग्राम **दही** रखे हुये मे से वर्टीकल सार्फ कट लगा कर भैंस के दूध के दही को बराबर–बराबर चार भागो मे विभाजित कर एक भाग को एक अलग भगोने मे लेकर अच्छी तरह से मथनी से मथकर पूर्णतया होमोजिनियस कर एक किलो भैंस के दूध का दही वेईग मशीन से तुलवाकर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री रामावतार शर्मा को रू0 120/–अक्षरे एक सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **दही** 1 किलोग्राम को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को चार साफ सुखी कांच की शिशियो मे भरकर अच्छी तरह एयरटाईट कर बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1003 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1003 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. रामावतार शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/2000 दिनांक 19.06.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/300/एक्ट/2015/300 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार रामावतार शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **दही** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **दही** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक
1051

Scanned by CamScanner

(18)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **दही** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **दही** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री श्री रामावतार शर्मा पुत्र नाथूलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पुर्नवास कॉलोनी महुआ तहसील व जिला टोंक विक्रेता मैसर्स शर्मा रेस्टोरेन्ट खेडा बाईपास एन.एच. 12 छान तहसील व जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.03.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुखराम खोखर)
निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.22 11:01:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: